न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–244 / 2022
GCMS No.- 2022/307

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
खींवराज पुत्र स्व0 मोहनराम जाति जाट उम्र 18 वर्ष निवासी बिखरनियाकंला तहसील डेगाना जिला नागौर, राज0 मो.नं. –7014524287		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कडवा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।

निर्णय **दिनांक–** 28-3-2023

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 27 / 2020 राजस्थान सरकार बनाम मोहनराम प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज़ मिया दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी / अपीलान्ट ने प्रार्थी / अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मयाद प्रार्थना में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते कथन किया कि अपीलान्ट के पिता मोहनराम के नाम से उचित मूल्य दुकानदार बिखरनियां कलां अतिरिक्त इटावड़ा तहसील डेगाना का चार्ज था। उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 08.01.2021 को पारित किया गया, अपीलान्ट के पिता का देहान्त हार्ट अटेक की वजह से दिनांक 27.08.2021 को हो गया, अपीलान्ट परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। उक्त आदेश के संबंध में अपीलान्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं.–11115 / 2022 बअनवान खींवराज बनाम राज0 राज्य वगेरा पेश की, जिसमें दिनांक 16.08.2022 को आदेश पारित किया कि चार सप्ताह में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील पेश करे। जिस पर यह अपील पेशी की गई है। अपीलान्ट डीलर स्व0 मोहनराम का पुत्र होने से उसे अपील करने का अधिकार है व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपील पेश करने के निर्देश दिये है, इस कारण अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार होने से देरी माफ कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर न्यायहित में मेरिट पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जाना उचित होने से अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

कलक्टर नागौर

3. अपीलांट के पिता मोहनराम के नाम से उचित मूल्य दुकानदार बिखरनिया कलां अतिरिक्त इटावड़ा तहसील डेगाना का चार्ज था। उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 8.1.2021 को पारित किया गया, जिसमें जिला रसद अधिकारी ने यह अंकित किया कि डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतो की जांच करने हेतु प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना श्री योगेश कुमार को दूरभाष पर मौखिक निर्देश दिये गये, प्रवर्तन निरीक्षक श्री योगेश कुमार ने डीलर के पास अतिरिक्त चार्ज ग्राम इटावड़ा की जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 31.3.2020 को पेश की, जांच में यह तथ्य सामने आना बताया कि पोश मशीन संख्या 22800 (इटावड़ा) में कुल गेहुँ अन्तयोदय, बी.पी.एल. 500 किलोग्राम व एपीएल गेहूँ 465 किलोग्राम यानि कुल 965 किलोग्राम उपलब्ध स्टॉक दर्ज पाया, जबकि भौतिक सत्यापन्न करने पर कुल गेहूँ शून्य किलोग्राम स्टॉक में पाया गया, इस प्रकार कुल गेहूँ 965 किलोग्राम कम पाया गया, चीनी का स्टॉक पोश मशीन संख्या 22800 में 46.45 किलोग्राम कम पाया गया। स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। मांगे जाने पर ओटीपी के बिना वितरित किये गये गेहूँ का वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया, आन लाईन पोश मशीन संख्या 22800 (अतिरिक्त चार्ज) का रिकॉर्ड जांचने पर कुल माह मार्च में 1195 किलो गेहूँ बिना ओटीपी के वितरण किया जाना पाया गया जो नियम विरूद्ध है पोश मशीन संख्या 22801 (मूल दुकान) में ऑनलाईन रिकॉर्ड जांच करने पर माह मार्च में कुल 8425 किलोग्राम गेहूँ बिना ओटीपी के वितरण किया जाना पाया जो बिना वितरण रजिस्टर नियम विरूद्ध है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार ने 2160 किलोग्राम गेहूँ को उपभौक्ताओ को वितरण नहीं कर व 2160+8425 किलोग्राम गेहूँ बिना ओटीपी के बिना वितरण रजिस्टर वितरित कर कुल गेहूँ 10585 किलोग्राम व 46.45 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग किया है। डीलर स्तर पर बरती गई उपरोक्त गंभीर अनियमितताओ के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 के अन्तर्गत डीलर का प्राधिकार पत्र आदेश क्रमांक 351 दिनांक 31.3.2020 को निलम्बित कर विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यालय स्तर से पत्रांक 357 दिनांक 31.3.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित पुलिस थाना में प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश क्रमांक 372 दिनांक 1.4.2020 को दिये जाने पर प्रकरण संख्या 0053 दिनांक 1.4.2020 दर्ज किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी डीलर पर आरोप है कि पोश मशीन संख्या 22800 इटावडा में गेहूँ कुल स्टॉक 965 किलोग्राम तथा चीनी का स्टॉक 46.45 किलोग्राम दर्ज पाया लेकिन भौतिक सत्यापन्न पर गेहूँ व चीनी का शून्य पाया गया। उचित मूल्य दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक का प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। आगे अंकित किया कि आप द्वारा मांगे जाने पर ओटीपी के बिना वितरित गेहूँ का वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया, पोश मशीन संख्या 22800 अतिरिक्त चार्ज का रिकॉर्ड जांचने पर कुल माह मार्च में 1195 किलोग्राम गेहुँ बिना ओटीपी के वितरण किया जाना पाया गया जो बिना वितरण रजिस्टर नियम विरूद्ध है। पोश मशीन संख्या 22801 मूल दुकान में ऑनलाईन रिकॉर्ड जांच करने पर माह मार्च कुल 8425 किलोग्राम गेहूँ बिना ओटीपी के बिना वितरण रजिस्टर वितरित किया जाना पाया गया जो बिना वितरण रजिस्टर नियम विरूद्ध है इस प्रकार 2160 किलोग्राम गेहूँ उपभौक्ताओ को वितरीत नहीं कर व 2160+8425 किलोग्राम गेहूँ बिना ओटीपी के बिना वितरण रजिस्टर वितरीत कर कुल गेहूँ 10585 किलोग्राम व 46.45 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग किया है। अप्रार्थी डीलर का दिनांक 14.12.2020 को जवाब देही बन्द कर मिसल वास्ते निर्णय दिनांक 8.1.2021 को नियत कर दी व दिनांक 8.1.2021 को अपीलांट को सुने बिना निर्णय करते हुऐ राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में पद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ राशन डीलर श्री मोहनराम उचित मूल्य दुकानदार बिखरनियाकलां अतिरिक्त इटावडा तहसील डेगाना को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमासुदा प्रतिभूति राशि 1000रू. जब्त बहक सरकार की जाकर जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया व डीलर द्वारा गबन करना मानकर राशन सामग्री पीडीआर एक्ट के तहत नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यतित होकर अपीलांट की ओर से अपील पेश की गई है।

3(1)–अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर की उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांट/डीलर स्व. मोहनराम की अनुपस्थिति में उसको बिना सुने एकतरफा में केवल राजनेतिक दबाव व प्रभाव के

कलक्टर नागौर

चलते पारित किया होने से विधिक आदेश/निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है तथा आदेश जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3(2)–अपीलांट के विरूद्व उक्त विभागीय प्रकरण किसकी शिकायतपर दर्ज किया गया, जांच अधिकारी ने किसके सामने जांच की, किस–किस स्वतंत्र गवाह के बयान लिये, ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है केवल मात्र रूटीन निरीक्षण के तौर पर निरीक्षण करना बता कर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मिथ्या आक्षेप लगाकर कथित विभागीय प्रकरण दर्ज करवा दिया वअधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना व कोई गंभीर अनियमितता का आरोप नहीं होते हुऐ भी प्राधिकार पत्र निलम्बित करने की आदेशिका अंकित कर दी, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट होगा कि डीलर के विरूद्व कथित आरोप बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

3(3)–अपीलांट के विरूद्व कालाबाजारी, गबन आदि का कोई गंभीर आरोप नहीं है। अपीलांट के पिता डीलर मोहनराम की मृत्यु दिनांक 27.8.2021को हृदय गति रूकने से हुई थी, कथित जो गबन का आरोप लगाया है वह कुल गेहूँ 10585 किलोग्राम एवं चीनी 46.45 किलोग्राम के गबन का आरोप है जबकि ऐसा कोई गबन नहीं हुआ था, इस बाबत अपीलांट/डीलर को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व एकतरफा में मिथ्या आक्षेप लगाकर निर्णय जेर अपील पारित किया होने से निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3(4)–जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 28.3.2020 को एक मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, उक्त रिपोर्ट में अपीलांट के पिता की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार किये, बिना डीलर को सुने, बिना हस्ताक्षर करवाये, मनमाने ढंग से राजनेतिक द्वैषता रखने वाले कुछ लोगो की उपस्थिति में जो मौका स्थल के पडौस नहीं होकर दूर दराज के लोगो के अपने कार्यालय में हस्ताक्षर करवाकर मौका रिपोर्ट की केवल मात्र औपचारिकता पूरी की है जबकि वास्तविकता यह होती है कि कोई अधिकारी जांच करने जावे तो लिखित नोटिस देकर कुछ अवगत करवा कर उसकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की जाती है मगर न तो प्रार्थी को न तो ऐसा कोई नोटिस दिया न डीलर को कोई ईतला दी व बाले बाले मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है, मौका रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी ने राजनेतिक लोगो के प्रलोभन व प्रभाव में आकर केवल मात्र एक पर्चा सामुहिक बयान का लिख कर उस पर करीब 20 गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तैयार किया गया है जबकि विधि अनुसार समस्त गवाहान के अलग अलग शपथपूर्वक बयान लेकर वे बयान अधिनस्थ अधिकारी के निर्णय में सहायक होते तो डीलर के विरूद्व इस तरह की कोई साक्ष्य निर्णय के दौरान मानी जा सकती थी मगर किसी भी व्यक्ति के व दोनों पंचायतो के स्वतंत्र व मौतबिर गवाहान के बयान लेने चाहिए थे व ग्राम पंचायत के सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरा से उक्त तथ्यो की जांच रिपोर्ट लेकर जांच रिपोर्ट पत्रावली में शामिल कर न्याय निर्णय का आधार बनाना चाहिए था। लेकिन इस तरह की जांच नहीं कर केवल मात्र राजनेतिक द्वैषता रखने वाले लोगो के प्रभाव में आकर मनमाने ढंग से उनके नाम की खानापूर्ति करते हुऐ डीलर को सुने बिना बाले बाले गलत रूप से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो विधिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। जिससे अपील स्वीकार की जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने योग्य है।

3(5)–डीलर के समक्ष दो पंचायतो का भार था दोनो पंचायतो के किसी भी उपभौक्ता ने डीलर के विरूद्व अनियमितता बरतने व उपभोक्ता को सम्पूर्ण राशन सामग्री नहीं देने बाबत किसी प्रकार का न तो कोई आरोप है नही इस तरह से किसी भी उपभोक्ता की लिखित में कोई शिकायत है अगर वास्तव में डीलर द्वारा अनियमितता या घोटाला करने की साक्ष्य होती तो न्याय निर्णय करने वाले अधिकारी द्वारा समस्त जानकारी व रिकॉर्ड लेकर डीलर को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करना चाहिए व किसी प्रकार की ठोस साक्ष्य नहीं लेकर न शिकायत लेकर केवल एक व्यक्ति के कह देने से राजनेतिक द्वैषता के चलते चन्द लोगो के हस्ताक्षर करवा कर सामुहिक पर्चा बयान रिपोर्ट तैयार कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है व अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

कलक्टर नागौर

3(6)–डीलर की मृत्यु होने के पश्चात डीलर के परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है न ही किसी भी प्रकार के रोजगार की व्यवस्था है डीलर के बाद अपीलांट एक मात्र व्यक्ति है जो वृद्ध माता व छोटी छोटी दो की मृत्यु बहिनो के विवाह व उनके जीवन यापन हेतु एक मात्र जिम्मेदार व्यक्ति है क्योकि अपीलांट की नाबालिग अवस्था में उसके पिता की मृत्यु हो गई व अपीलांट बी.ए. प्रथम कक्षा का विधार्थी है उसके पास कोई रोजगार नहीं है जिससे अपीलांट की संकट की स्थिति को देखते हुऐ व समस्त तथ्यो को मध्यनजर रखते हुऐ अपीलांट को गुणावगुण पर सुनवाई का मौका दिया जाकर निर्णय किया जाना था जो नहीं किया गया है इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

3(7)–डीलर के विरूद्व जो ओटीपी से वितरण नहीं करने का आक्षेप लगाया है चूंकि उस समय कोरोना महामारी का दौर था व उस दौरान में राशन सामग्री वितरण करना भी बहुत मुश्किल था फिर भी सरकारी नियमो को देखते हुऐ राशन सामग्री डीलर द्वारा जान जोखिम में डाल कर वितरण की गयी वैसी सुरत में ओटीपी से वितरण करने या नहीं करने तथा राशन सामग्री का स्टॉक कम ज्यादा होने व रिकॉर्ड नहीं मिलने जैसे जो आरोप लगाये है कतई गलतहै उस समय जिस तरह की अति आवश्यक व्यवस्था थी उसको देखते हुऐ वितरण किया गया था व उस दौर में किसी प्रकार की अनियमितता करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इसके बावजूद इस संबंध में डीलर को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश जेर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है।

3(8)–राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम (वितरण काविनियम) 1976 के तहत प्रथम तो अगर कोई उचित मूल्य दुकानदार कार्य अनुसार जो करते समय सेहवन से अगर कोई भूल चूक रह जाती है तो उसके भी कमी पाई जाती है उसकी पूर्ति पुनः करवाई जा सकती है लेकिन इस तरह से बिना विधिवत जांच कर सीधे ही प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आधार नहीं है मगर उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुऐ व बिना सुने प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया, जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3(9)–अपीलांट द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री वितरण करने व किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरतने व किसी भी उपभौक्ता के साथ गलत व्यवहार नहीं करने व राशन सामग्री से किसी को भी वंचित नहीं रखने आदि के संबंध में गांव के निष्पक्ष स्वतंत्र गवाहान के शपथ पत्र भी अपीलांट पेश करने को तैयार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि जिस अधिकारी द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बना कर पेश किया जाता है उसके संबंध मे डिलर की पूर्ण सुनवाई की जाना व डिलर को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व कोरोना वायरस महामारी के दौर मेंइतनी जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय किया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुऐ भी इन सभी को नजर अन्दाज करते हुऐ विद्वान जिला रसद अधिकारी ने निर्णय जैर अपील एकतरफा में पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं क्योकि जांच अधिकारी व जिला रसद अधिकारी ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए व स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को खुश करने के लिए उक्त कथित जांच प्रतिवेदन गलत तौर पर बनाकर उसके आधार पर निर्णय पारित कर दिया। जिससे निर्णय जैर अपील पारदर्शिता पूर्ण नहीं होने व सम्पूर्ण कार्यवाही पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर की होने से निर्णय जैर अपील विधि सम्मत निर्णय नहीं है और इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू के मध्य नजर निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3(10)–रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण काविनियमन) आदेश–1976 के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है और उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना व नजरअंदाज करते हुऐ आदेश जैर अपील पारित किया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

3(11)–अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था

कलक्टर नागौर

ऐसी स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3(12)–डीलर के विरूद्व किसी भी उपभौक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है कथित जांच प्रतिवेदन के समय भी कोई अनियमितता नहीं की गयी थी, जो आरोप लगाये गये है वह सत्य नहीं है।

3(13)–डीलर ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की थी नही पूर्व की कोई शिकायत डीलर के विरूद्ध रही थी। ग्राम पंचायत के किसी भी उपभौक्ता द्वारा मुझ डिलर के विरूद्ध कभी कोई अंसतोष नहीं जताया न कोई शिकायत की गयी थी, इसके बाक्जूद इस दौर में डीलर का प्राधिकार पत्र आनन फानन में निरस्त करने से डिलर के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार विधि सम्मत नहीं है अपीलांट बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी उसी पर है तथा डिलर नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है ऐसी स्थिति में कोरोना काल में ऐसे मिथ्या आक्षेप लगाकर इस तरह का कठोर निर्णय पारित करना कतई न्याय संगत नहीं है।

3(14)–उपरोक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि डीलर निर्दोष है उसके विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। उक्त प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद में डीलर के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभौक्ता या अन्य नागरिक की नहीं थी जिससे यह साबित हो कि डीलर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमो का उल्लंघन किया गया हो। इसके अलावा डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनो की पालना करते हुऐ विधिनुसार कार्य किया जाता रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं था, डीलर के द्वारा उचित मूल्य दूकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा था, फिर भी कोई शिकायत थी तो डीलर/अपीलांट से जवाब, साक्ष्य व इस संबंध में शपथ पत्र लेकर उसका प्राधिकार पत्र बहाल करना न्यायोचित होते हुऐ भी उसे निरस्त करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

3(15)–उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर सर्व प्रथम जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में बनी वितरण कमेटी द्वारा जांच कर उस कमेटी के सदस्यो द्वारा पूछताछ कर उनके बयान लेकर उसके पश्चात दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उक्त कमेटी के बयानों को मध्य नजर रखते हुऐ उचित मूल्य दुकानदार को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर बाद में दोषी पाये जाने पर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही की जा सकती है मगर प्रकरण हाजा में ऐसी कमेटी द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त दुकानदार के विरूद्ध नहीं है न ही जांच अधिकारी ने ऐसी कमेटी के सदस्यों के बयान हीं लिये है न ही किसी तरह से पूछताछ की है केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एकतरफा कार्यवाही कर डीलर को दोषी बता कर निर्णय पारित करवाया है अब विज्ञप्ति जारी कर आनन फानन में नया डिलर नियुक्त किये जाने की तैयारी में है जो विधि सम्मत नहीं है।

3(16)–अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 27/2020 राजस्थान सरकार बनाम मोहनराम में पारित आदेश/निर्णय जेर अपील दिनांक 1.8.2021 को अपास्त/संशोधित/निरस्त किया जावे व हस्तगत प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाकर डीलर मोहनराम का हार्ट अटेक के कारण देहान्त हो जाने से उसके स्थान पर प्राधिकार पत्र उसके उतराधिकारी बालिग पुत्र अपीलांट के नाम अन्तरित करने हेतु भी उचित आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के निर्देशो के कम में प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना द्वारा दिनांक 28.03.2020 को डीलर मोहनराम की उचित मूल्य दुकान ग्राम ईटावडा में जॉच की गई, जिसके अनुसार मौके पर पोश मशीन संख्या 22800 में गेहूँ 965 कि.ग्रा. एवं चीनी 46.45 कि.ग्रा. दर्ज पाई गई, जिसका भौतिक सत्यापन्न करने पर डीलर के स्टॉक में गेहूँ शून्य कि.ग्रा. एवं चीनी शून्य कि.ग्र.

कलक्टर नागौर

पाई गई। इस प्रकार गेहूँ 965 कि.ग्रा. एवं चीनी 46.45 कि.ग्रा. स्टॉक में कम पाई गई। मौके पर दौराने जॉच स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन नहीं करना पाया गया। मौके पर ओटीपी के बिना वितरित किये गये गेहूँ का वितरण रजिस्टर मागे जाने पर उपलब्ध नहीं करवाया। पोश मशीन संख्या 22800 का ऑनलाईन रिकार्ड जांचने पर माह मार्च 2020 में कुल 1195 किलोग्राम गेहूँ बिना ओटीपी वितरण किया जाना पाया गया, जो वितरण रजिस्टर के नियम विरूद्ध है। पोश मशीन संख्या–22801(मूल दुकान) का ऑनलाईन रिकार्ड जॉच करने पर माह मार्च 2020 में कुल 8425 कि.ग्रा. गेहूँ बिना ओटीपी एवं बिना वितरण रजिस्टर के वितरण करना पाया गया। इस प्रकार डीलर मोहनराम द्वारा उपरोक्त अनियमितताऐं बरत कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या–8,11,17(ग) व 18 का उलघंन किया। उक्त संबंध में डीलर मोहनराम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.03.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक के भेजा गया, परन्तु 30 व्यतीत हो जाने के बाद भी डीलर मोहनराम के उपस्थित नहीं होने पर डीलर मोहनराम को जारी नोटिस की नियमानुसार तामील मानी जाकर मिसल वास्ते जबाब दिनांक 28.07.2020 को नियत की गई। इसके पश्चात प्रकरण तारीख पेशी 03.09.2020, 15.10.2020, 14.12.2020 नियत की गई, परन्तु उक्त तारीख पेशियों पर भी डीलर मोहनराम न तो उपस्थित हुआ और न नहीं उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 14.12.2020 को डीलर मोहनराम के अनुपस्थित रहने से जबाब बंद किया जाकर मिसल वास्ते निर्णय दिनांक 08.01.2021 को नियत की गई। दिनांक 08.01.2021 को भी डीलर मोहनराम के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध लगाये गये सभी आरापों को प्रमाणित मानकर जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा दिनांक 08.01.2021 को डीलर मोहनराम द्वारा जमा प्रतिभूति राशि एक हजार रूपये जब्त बहक सरकार की जाकर डीलर मोहनराम को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया एवं प्रकरण में डीलर मोहनराम द्वारा गबन की गई राशन सामग्री पीडीआर एक्ट के तहत नियमानुसार वसूली कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा डीलर मोहनराम को कारण बताओ नोटिस का जबाब आदि प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी डीलर मोहनराम विभागीय कार्यवाही उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा प्रतिरक्षण में कोई जबाब, साक्ष्य, सबूत पेश किये। प्रकरण में फर्द मौका दिनांक 28.03.2020 जिसकी पुस्टि में गवाहान द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये है। इसके मौके पर पर्चा सामूहिक बयान लिये गये, जिस पर आम उपभोक्ता गाम ईटावड़ा के 20 व्यक्तियो ने अपने संयुक्त बयानों में बताया है कि ग्राम इटावडा के उ.मू.दं. श्री मोहनराम (अस्थाई चार्ज) ने मार्च 2020 में उन्हे रसद सामग्री (गेहू) का वितरण नहीं किया है। गवाहान ने यह भी कथन किया कि महारे मोबाईल नम्बरों में गेहूँ प्राप्त करने के लिए 25.03.2020 व इससे पहले से भी ओटीपी आ रही है, जबकि हम राशन लेने उचित मूल्य दुकान पर गये ही नहीं है। ऑनलाईन चैक करनेपर भी ऑनलाईन गेहूँ निकला हुआ बता रहा है। इसके अलावा डीलर मोहनराम द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध में ऑनलाईन रिकार्ड से भी डीलर के विरूद्ध गेहूँ और चीनी के संबंध में लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो पूर्णतया सही व नियमानुसार है। अपीलान्ट खींवराज ने उक्त निर्णय दिनांक 08.01.2021 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट के अनुसार वह डीलर मोहनराम का पुत्र है तथा उसके पिता मोहनराम 27.08.2021 को मृत्यू हो जाना अवगत करवाया है। इस प्रकार डीलर मोहनराम के पुत्र अपीलान्ट द्वारा डीलर मोहनराम की मृत्यू के पश्चात करीब 6 माह बाद में यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने हस्तगत अपील में भी उपर्युक्तानुसार डीलर मोहनराम के विरूद्ध आरापों के खण्डन स्वरूप कोई ठोस कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जब विभागीय प्रकरण में डीलर ने अपने प्रतिरक्षण हेतु सुनवाई, जबाब आदि का पर्याप्त अवसर जिला रसद अधिकारी महोदय दिये जाने के बाद भी उसके द्वारा जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष अपने प्रतिरक्षण में जबाब, साक्ष्य सबूत आदि क्यों नहीं पेश किये इस संबंध में भी अपीलान्ट खींवराज ने कोई ठोस एवं प्रमाणित कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत **नहीं की है। इसलिए भी जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा पारित निर्णय उचित है।**

4(1)–राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के **नियम 22 के तहत अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश 1976 के**

कलक्टर नागौर

नियम–22 के प्रावधान इस प्रकार है :– *नियम 22 अपील–(1) इस आदेश के अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा दिये गये किसी ओदश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति– (क) यदि आदेश कलक्टर के रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है, कलक्टर को अपील कर सकेगा।* इस प्रकार इस आदेश के अधीन से तात्पर्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 है और हस्तगत प्रकरण में उक्त आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो डीलर मोहनराम के विरूद्ध पारित किया गया है। इस प्रकार उक्त आदेश 1976 से व्यथित व्यक्ति केवल डीलर मोहनराम रहा है, क्योंकि निर्णय डीलर मोहनराम के विरूद्ध ही निर्णय पारित किया गया है। उक्त आदेश 1976 के तहत अपीलान्ट खींवराज जो कि डीलर मोहनराम का पुत्र उसके विरूद्ध कोई ओदश/निर्णय पारित नहीं किया गया है, इसलिए अपीलान्ट खींवराज व्यथित व्यक्ति नहीं है। इस कारण अपीलान्ट को उक्त आदेश 1976 के नियम 22 के तहत हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना द्वारा दिनांक 28.03.2020 को डीलर मोहनराम की उचित मूल्य दुकान ग्राम ईटावडा में जॉच की गई, जिसके अनुसार मौके पर पोश मशीन संख्या 22800 में गेहूँ 965 कि.ग्रा. एवं चीनी 46.45 कि.ग्रा. दर्ज पाई गई, जिसका भौतिक सत्यापन्न करने पर डीलर के स्टॉक में गेहूँ शून्य कि.ग्रा. एवं चीनी शून्य कि.ग्र. पाई गई। इस प्रकार गेहूँ 965 कि.ग्रा. एवं चीनी 46.45 कि.ग्रा. स्टॉक में कम पाई गई। मौके पर दौराने जॉच स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन नहीं करना पाया गया। मौके पर ओटीपी के बिना वितरित किये गये गेहूँ का वितरण रजिस्टर मागे जाने पर उपलब्ध नहीं करवाया। पोश मशीन संख्या 22800 का ऑनलाईन रिकार्ड जांचने पर माह मार्च 2020 में कुल 1195 किलोग्राम गेहूँ बिना ओटीपी वितरण किया जाना पाया गया, जो वितरण रजिस्टर के नियम विरूद्ध है। पोश मशीन संख्या–22801(मूल दुकान) का ऑनलाईन रिकार्ड जॉच करने पर माह मार्च 2020 में कुल 8425 कि.ग्रा. गेहूँ बिना ओटीपी एवं बिना वितरण रजिस्टर के वितरण करना पाया गया। इस प्रकार डीलर मोहनराम द्वारा उपरोक्त अनियमितताऐं बरत कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या–8,11,17(ग) व 18 के उलघंन पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा डीलर मोहनराम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.03.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक के भेजा गया, परन्तु 30 व्यतीत हो जाने के बाद भी डीलर मोहनराम के उपस्थित नहीं होने पर डीलर मोहनराम को जारी नोटिस की नियमानुसार तामील मानी जाकर मिसल वास्ते जबाब दिनांक 28.07.2020 को नियत की गई। इसके पश्चात प्रकरण तारीख पेशी 03.09.2020, 15.10.2020, 14.12.2020 नियत की गई, परन्तु उक्त तारीख पेशियों पर भी डीलर मोहनराम न तो उपस्थित हुआ और न नहीं उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 14.12.2020 को डीलर मोहनराम के अनुपस्थित रहने से जबाब बंद किया जाकर मिसल वास्ते निर्णय दिनांक 08.01.2021 को नियत की गई। दिनांक 08.01.2021 को भी डीलर मोहनराम के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध लगाये गये सभी आरापों को प्रमाणित मानकर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 08.01.2021 को डीलर मोहनराम द्वारा जमा प्रतिभूति राशि एक हजार रूपये जब्त बहक सरकार की जाकर डीलर मोहनराम को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया एवं प्रकरण में डीलर मोहनराम द्वारा गबन की गई राशन सामग्री पीडीआर एक्ट के तहत नियमानुसार वसूली कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। उपर्युक्तानुसार जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा डीलर मोहनराम को कारण बताओ नोटिस का जबाब आदि प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी डीलर मोहनराम विभागीय कार्यवाही उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा प्रतिरक्षण में कोई जबाब, साक्ष्य, सबूत पेश किये। प्रकरण में फर्द मौका दिनांक 28.03.2020 जिसकी पुष्टि में गवाहान द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये है। इसके मौके पर पर्चा सामूहिक बयान लिये गये, जिस पर आम उपभोक्ता गाम ईटावड़ा के 20 व्यक्तियो ने अपने संयुक्त बयानों में बताया है कि ग्राम इटावडा के उ.मू.दं. श्री मोहनराम (अस्थाई चार्ज) ने मार्च 2020 में उन्हे रसद सामग्री (गेहू) का वितरण नहीं किया है। गवाहान ने यह भी कथन किया

कलक्टर नागौर

कि महारे मोबाईल नम्बरों में गेहूँ प्राप्त करने के लिए 25.03.2020 व इससे पहले से भी ओटीपी आ रही है, जबकि हम राशन लेने उचित मूल्य दुकान पर गये ही नहीं है। ऑनलाईन चैक करने पर भी ऑनलाईन गेहूँ निकला हुआ बता रहा है। इसके अलावा डीलर मोहनराम द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध में ऑनलाईन रिकार्ड से भी डीलर के विरूद्ध गेहूँ और चीनी के संबंध में लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो उचित है। अपीलान्ट खींवराज ने उक्त निर्णय दिनांक 08.01.2021 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट के अनुसार वह डीलर मोहनराम का पुत्र है तथा उसके पिता मोहनराम 27.08.2021 को मृत्यू हो जाना अवगत करवाया है। इस प्रकार डीलर मोहनराम के पुत्र अपीलान्ट द्वारा डीलर मोहनराम की मृत्यू के पश्चात करीब 6 माह बाद में यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने हस्तगत अपील में भी उपर्युक्तानुसार डीलर मोहनराम के विरूद्ध आरापों के खण्डन स्वरूप कोई ठोस कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जब विभागीय प्रकरण में डीलर ने अपने प्रतिरक्षण हेतु सुनवाई, जबाब आदि का पर्याप्त अवसर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिये जाने के बाद भी डीलर मोहनराम द्वारा उनके समक्ष अपने प्रतिरक्षण में जबाब, साक्ष्य सबूत आदि क्यों नहीं पेश किये इस संबंध में भी अपीलान्ट खींवराज ने कोई ठोस एवं प्रमाणित कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए भी जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा पारित निर्णय उचित है।

5(1)–राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश 1976 के नियम–22 के प्रावधान इस प्रकार है :– ***नियम 22 अपील–(1) इस आदेश के अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा दिये गये किसी ओदश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति– (क) यदि आदेश कलक्टर के रैक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है, कलक्टर को अपील कर सकेगा।*** उक्त नियम में वर्णित ***'इस आदेश के अधीन"*** से तात्पर्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) **आदेश 1976 है** और हस्तगत प्रकरण में उक्त आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो डीलर मोहनराम के विरूद्ध पारित किया गया है एवं उक्त आदेश 1976 से व्यथित व्यक्ति केवल डीलर मोहनराम रहा है, क्योंकि निर्णय डीलर मोहनराम के विरूद्ध ही निर्णय पारित किया गया है। उक्त आदेश 1976 के तहत अपीलान्ट खींवराज जो कि डीलर मोहनराम का पुत्र उसके विरूद्ध कोई ओदश/निर्णय पारित नहीं किया गया है, इसलिए अपीलान्ट खींवराज को व्यथित व्यक्ति माना जाना उचित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट खींवराज को उक्त आदेश 1976 के नियम 22 के तहत हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर